न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांभर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी : प्रभुदयाल शर्मा, आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 220/15
निर्णय दिनांक : 09.04.2018

1. हेमाराम पुत्र हनुमान जाति जाट नि0 भैंसावा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0
2. जगदीश
3. श्रवण

समस्त जाति जाट नि0 भैंसावा तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ऐक्ट

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि आराजी खाता सं0 493 की खं0नं0 876 रकबा 13 बीघा 19 विस्वा वाकै भैंसावा प0ह0 भैंसावा गि0ह0 करणसर तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें पूर्व में हनुमान प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 का पिता खातेदार काश्तकार था। हनुमान के के स्वर्गवास बाद उसके वारिसान "हेमाराम, जगदीश, श्रवणलाल पि0 हनुमान हि0 19/78 का फौती नामान्तकरण खोला गया उसके सहवन से हेमाराम की बजाय हेमराज दर्ज हो गया ओर इस प्रकार चालू जमाबन्दी खाता सं0 493 संवत् 2068 से 2071 के कालॅम सं0 4 में हेमराज, जगदीश, श्रवणलाल पि0 हनुमान हि0 19/78" दर्ज है ओर उसके बाद उक्त नंबर का विभाजन होने पर नामान्तकरण सं0 2399 दिनांक 14.03.13 को जो खातेदारी दर्ज की गयी उसमें भी क्रम सं0 5 पर हेमराज, जगदीश, श्रवण पि0 हनुमान जाति जाट सा0देह0 खं0नं0 1304/876 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा में दर्ज कर दिया गया। खं0नं0 1304/876 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा वाकै भैंसावा प0ह0 भैंसावा तह0 कि0रेनवाल में हनुमान के वारिस प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 2 व 3 यानी हेमाराम, जगदीश, श्रवण पि0 हनुमान काबिज काश्त है व प्रार्थी व उसके पुत्रान के रेकार्ड में भी पुत्रों के पिता का नाम हेमाराम दर्ज है व प्रार्थी का राशनकार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज़ों में "हेमाराम पुत्र हनुमान" दर्ज है अतः राजस्व रेकार्ड में हेमराज की जगह हेमाराम दर्ज होना आवश्यक है। प्रार्थी ने दिनांक 03.08.15 को तहसीलदार जी से निवेदन किया तो उन्होनें सक्षम न्यायालय में विधि अनुसार कार्यवाही करने की हिदायत दी अतः यह प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 136 ले0रे0ऐ0 श्रीमान् की सेवामें पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 2 व 3 की ओर से वकील श्री प्रेमचन्द महड़ा ने वकालतनामा पेश किया। वकील अप्रार्थी सं0 2 व 3 द्वारा जवाब प्रस्तुत न करने के लिए कारण जवाब बन्द किया गया। अप्रार्थी सं0 1 तहसीलदार की ओर से जवाब पेश किया गया तथा पटवारी हल्का भैंसावा की ओर से जांच रिपोर्ट पेश की गयी जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने अपने प्रा0पत्र के समर्थन में प्रमाणित नकल जमाबन्दी खाता सं0 493 संवत् 2068 से 2071 ग्राम भैंसावा, फोटो कॉपी राशनकार्ड, पहचान पत्र की प्रतिया पेश की है।

अधिकारी
र लेक

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी ने उक्त प्रा0पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया जिस पर त्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजो को ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया अवलोकन करने के पश्चात् प्रार्थी का प्रा0पत्र मुताबिक प्रार्थना के आधार पर स्वीकार किया जाना यायोचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खं0नं0 1304/876 कबस 3 बीघा 8 विस्वा वाकै भैंसावा प0ह0 भैंसावा गि0ह0 करणसर तह0 कि0रेनवाल जेला जयपुर राज0 की चालू जमाबन्दी खाता सं0 493 संवत् 2068 से 2071 में मराज, जगदीश, श्रवण पि0 हनुमान को दुरूस्त किया जाकर "हेमाराम, जगदीश, वण पि0 हनुमान जाट" दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो।

आदेश आज दिनांक 09.04.2018 को खुले न्यायालय हाजा टंकण कराया जाकर नाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक